मिनाय

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती न्यालो बनाम श्रीमती पारसी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
11/01/21	2021/110	SA-2
24.12.21	श्री वरिष्ठ अभिभाषक श्री गिरीश शर्मा श्रीमती न्यालो बनाम श्रीमती पारसी वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित। अभिभाषक श्री गिरीश शर्मा ने अप्रार्थी संख्या 01की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली हो। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील में माननीय न्यायालय द्वारा बरवक्त लगातार [illegible] आवाज प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सकें और बाद में जब [illegible] हुए तो पता चला कि न्यायालय द्वारा अपील को अदम हाजरी [illegible] पेशी में खारिज फरमा दिया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं [illegible] भी जरूरत होगी सूचना कर दी जाएगी। प्रार्थी नियत दिनांक [illegible] न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता [illegible] बार होने से उपस्थित नहीं हो सके इसलिए अपील अदम हाजरी [illegible] में खारिज कर दी गई। प्रकरण में अपीलार्थी की कोई [illegible] निहित नहीं है जैसे ही अपीलार्थी को [illegible] हैं। माननीय न्यायालय से निवेदन [illegible] जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 [illegible] प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील माननीय न्यायालय में [illegible] 23.02.2021 को अभिभाषक [illegible] एवं अदम पैरवी में खारिज न्यायालय ने विधि सम्मत अपील को [illegible] कारण [illegible] नहीं की हैं। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र [illegible] माननीय न्यायालय से अनुरोध है होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने [illegible] कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम [illegible] खारिज धारा 151 जा.दी. को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर [illegible] एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद [illegible] प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय [illegible] उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी. (बाजदायरी) को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसलशुदा [illegible] नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	